न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा 0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4585-तीन/2013 - विरूद्व आदेश दिनांक 22-10-2013 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालिययर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 522/2011-12 अपील

बादाम सिंह पुत्र मूँगाराम यादव
ग्राम टोड़ा तहसील करैरा,जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्व

लालाराम पुत्र पैज सिंह निवासी ग्राम
टोड़ा तहसील करैरा, जिला शिवपुरी ----अनावेदक

(श्री अशोक भार्गव अभिभाषक - आवेदक)
(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक - अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 28/1/2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालिययर व्दारा प्रकरण कमांक 522/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-10-2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार करैरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम टोड़ा में उसके स्वामित्व की आराजी नंबर 621 है जिसका बंदोवस्त के बाद

1010 नंबर बना है परन्तु बंदोवस्त के समय नक्शा तैयार करने में त्रृटि होने से सुधार किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 8/2004-05 अ-5 दर्ज कर आदेश दिनांक 21-1-08 पारित किया एंव सर्वे नंबर 1010 रकबा 0.700 हैक्टर पर आवेदक के नाम के बजाय अनावेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी,करैरा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 116/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-08 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर जांच एंव हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण वापिस किया गया।

कलेक्टर भू प्रबंधन शिवपुरी ने समस्त राजस्व अधिकारियों को आदेश दिये कि संहिता की धारा 89 के अंतर्गत नक्शा संशोधन की कार्यवाही न की जावे , वरण् नक्शा संशोधन के मामले जांच कर कलेक्टर न्यायालय में भिजवाये जांय । तहसीलदार करैरा ने उक्तांकित प्रकरण प्रतिवेदन दिनांक 18-6-09 से कलेक्टर शिवपुरी को प्रेषित किया , जिस पर अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 2/11-12 अ-5 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 21-5-12 पारित किया एंव प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालिययर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 522/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-10-2013 से अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मूल मामला नक्शे में बंदोवस्त के दौरान सर्वे नंबर के अंकन में हुई त्रृटि सुधार के सम्बन्ध में की मांग वावत् है एंव कलेक्टर भू प्रबंधन शिवपुरी व्दारा लिये गये निर्णय अनुसार बंदोवस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे की त्रृटि कलेक्टर/अपर कलेक्टर दुरूत करेंगे - कलेक्टर व्दारा लिया गया निर्णय उचित नहीं है क्योंकि विचाराधीन प्रकरण संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नवीन नक्शा निर्माण का अथवा नक्शा पुनरीक्षित कराये जाने का नहीं है अपितु बंदोवस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे में भूलवश केवल दो कृषकों के दो सर्वे नंबरों के स्थल के अनुसार नंबर अंकित न होने की मांग एंव सुधार वावत् है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 89 में प्रावधान है कि उप खंड अधिकारी राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात्

तथा बंदोवस्त की अवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को , जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो, ठीक कर सकेगा और उप खंड अधिकारी की यह शक्तियां तहसीलदार को भी प्रदान की गई हैं जो संहिता की धारा 24 (इ) उपधारा 2 अनुसार है। विचाराधीन मामला नक्शे में सर्वेक्षण संख्यांक के त्रृटिपूर्ण अंकन का है परन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने एंव अपर कलेक्टर शिवपुरी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश त्रृटिपूर्ण है एंव अनुविभागीय अधिकारी करैरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 116/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-08 से तहसीलदार करैरा को हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु एंव स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने आने के वाद निराकरण प्रकरण वापिस किया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि करना नहीं पाई जाती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालिययर व्दारा प्रकरण क्रमांक 522/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-10-2013 एंव अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/11-12 अ-5 में पारित आदेश दिनांक 21-5-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा अनुविभागीय अधिकारी, करैरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 116/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-08 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर